न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 33 / 2022

1. भोपाली
2. रामजीलाल पिसरान मंगली
3. चुन्नी लाल पुत्र गंगाराम
4. गुलकन्दी
5. मंता
6. शकुन्तला
7. सुमात्रा पुत्रीयान गंगाराम जाति जाटव निवासी ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 20 / 05 / 2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 124 / 0.52, 127 / 0.31, 511 / 161 / 0.32, 512 / 161 / 0.33, हाल खसरा नम्बर 114 / 0.52, 117 / 0.31, 469 / 0.32, 470 / 0.33 बांके ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 पूर्व में वादीगण के पिता दादा मंगली पुत्र भूरा की मौरोसी की आराजी थी जिस पर मंगली ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक बहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की और मंगली के मरने के बाद आराजी विरासतन गंगाराम , भोपाली,रामजीलाल व बालू

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई बालू लाबल्द बिला और फौत हो गया एवं गंगाराम भी फौत हो चुका है। जिसके वारिसान वादीगण संख्या 3 लगायत 7 है । इस प्रकार आराजी बुजुर्गान की है और लगातार रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर गेहूँ की फसल खडी है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 26/04/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्गान मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। मौके पर आराजी में फसल खडी हुई है । आराजी पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3 :– दादरसी ।

.....वादीगण

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 रामजीलाल , पी0डब्लू02 चुन्नीलाल, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, 2017–20, 2021–24, 2023–26, 2058–61, 2062–65, 2066–69, 2075–78, खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 , 2010–13, 2022–25, 2042–45, 2046–49, 2062–65, 2066–69, व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16 में आराजी वादीगण के पिता ,दादा मंगली पुत्र भूरा की मौरोसी की आराजी थी। मंगली के मरने के बाद आराजी विरासतन वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2058–61 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। संलग्न रिकॉर्ड से साबित है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या :– 2</u> आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण कों आराजी खसरा नम्बर साविक 124/0.52, 127/0.31, 511/161/0.32, 512/161/0.33, हाल खसरा नम्बर 114/0.52, 117/0.31, 469/0.32, 470/0.33 बांके ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)